भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

संस्कृति विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 1987

क्र. एफ. 19-1-81-सं-30.—संस्कृति के क्षेत्र में अशासकीय प्रयास के लिये सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सहायता अनुदान के रूप में व्यय किये जाने के लिये प्रतिवर्ष राज्य निधि से कुछ रकम अलग निर्धारित कर दी जाती है, जिसका उपयोग अशासकीय प्रबंधाधीन सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में किया जाना है. राज्य शासन, सहायता अनुदान के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है :—

भाग एक—प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.—(1) ये नियम मध्यप्रदेश अशासकीय सांस्कृतिक संस्था सहायता अनुदान नियम कहलायेंगे और उनके प्रसारित होने की तारीख से प्रभावी होंगे और सभी सहायता प्राप्त संस्थाओं का वर्ष 1987–88 के लिये अनुदान इन नियमों के अधीन निर्धारित किया जायेगा. उन संस्थाओं के लिये दूसरा अनुदान निर्धारण वर्ष 1988–89 में किया जायेगा और उसके बाद ऐसा निर्धारण प्रति दो वर्ष पर किया जायेगा.

(2) अशासकीय सांस्कृतिक संस्थायें इन नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार श्रेणीबद्ध की जाती हैं.—

(एक) ऐसी अशासकीय संस्थायें जो प्रादेशिक स्तर के संगठन हैं और जो संस्कृति के क्षेत्र विशेष में तीन से अधिक वर्षों से सक्रिय हैं.

(दो) ऐसी अशासकीय संस्थायें जो किसी कला विशेष में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और नियमित प्रदर्शन की व्यवस्था करती हैं.

(तीन) ऐसी अशासकीय संस्थायें जो समय-समय पर लेकिन विशिष्ट स्तर के संगीत समारोह, नाट्य समारोह, कला प्रदर्शनियां, साहित्य समारोह आदि आयोजित करती हैं और किसी समारोह या आयोजन-विशेष के लिये सहायता चाहती हैं.

(3) इन नियमों में उल्लिखित प्राधिकारी से तात्पर्य संचालक, संस्कृति विभाग/सचिव, संस्कृति विभाग होगा.

भाग दो—सामान्य

2. सामान्य शर्तें.—आवश्यकताओं तथा उपलब्ध निधियों पर विचार करते हुए अनुदान उन अशासकीय संस्थाओं को दिया जायेगा, जो ठोस तथा धर्म निरपेक्ष साहित्यिक, रूपंकर और प्रदर्शनकारी कलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण अन्वेषण प्रदान करती हों अथवा/और प्रदर्शन आयोजन करती हों. ये अनुदान उन नियमों, उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों और साथ ही आगे की ऐसी शर्तों के जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें. अधीन होंगे.

3. मान्यता.—किसी भी संस्था द्वारा अधिकार के रूप में सहायता अनुदान का दावा नहीं किया जा सकेगा.

सहायता अनुदान केवल ऐसी संस्था को दिया जाएगा—

(क) जो आवेदन करने की तारीख के पूर्व कम से कम तीन वर्षों तक निरन्तर अस्तित्व में रही हों;

(ख) जो मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हों.

4. अनुदान चार प्रकार के होंगे, अर्थात :—

(एक) अनुरक्षण अनुदान,

(दो) भवन अनुदान

(तीन) उपकरण अनुदान

(चार) शिविर अथवा आयोजन अनुदान

5. किसी भी सहायता प्राप्त संस्था को चलाने वाली सोसायटी जब तक उसे राज्य शासन के विशेष या सामान्य आदेश द्वारा छूट न दी गई हो, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के अधीन पंजीकृत की जाएगी.

6. निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा.—शासन द्वारा सहायता-प्राप्त प्रत्येक संस्था का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार, संस्कृति विभाग के निरीक्षण अमले द्वारा सहायता अनुदान प्रदाय करने के उद्देश्य से तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि पूर्व में दी गई सहायता-अनुदान राशि का उचित उपयोग हुआ है, किया जायेगा.

संस्थाओं के लेखे संस्कृति विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी भी एजेन्सी एवं महालेखाकार, मध्यप्रदेश को उनके विवेक पर जांच करने के लिये उपलब्ध रहेंगे.

7. प्रतिवर्ष रुपये 10,000 (आवर्ती) वार्षिक तथा रुपये 50,000 (अनावर्ती) से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लेखे भी संचालक, स्थानीय निधि लेखा, मध्यप्रदेश द्वारा अपने विवेकानुसार किये जाने वाले अंकेक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे.

8. किसी जातिगत या साम्प्रदायिक शिक्षण पर व्यय के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा.

9. ऐसी किसी भी संस्था को कोई अनुदान मन्जूर नहीं किया जायेगा, जिसकी आय सभी स्त्रोतों से इतनी हो, जो विभाग के मतानुसार शासकीय सहायता प्राप्त किए बिना उसका दक्षतापूर्वक संचालन कर सकने के लिये पर्याप्त हो.

10. नई संस्थाओं के मामले में अनुदान ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन निर्धारित किया जायगा, जिन्हें शासन विहित करे.

11. सहायता प्राप्त संस्था चलाने वाली प्रत्येक पंजीकृत सोसायटी का प्रबंधक वर्ग एक प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करेगा, जो उक्त सोसायटी और उसके प्रबंधक वर्ग की ओर से पत्र-व्यवहार करेगा और संस्था की ओर से चेकों आदि पर हस्ताक्षर भी करेगा. प्रबंधक वर्ग द्वारा उसका नाम तथा पता यथास्थिति, संस्कृति विभाग के संबंधित प्राधिकारियों को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा.

12. सहायता प्राप्त संस्थाओं से सम्बद्ध अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सच्चरित्र तथा सदाचारी रहना होगा.

13. (क) प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था का प्रबंधक वर्ग अपने कर्मचारियों (प्रशिक्षकों को मिलाकर) के सेवा निबंधनों में एक निबंधन यह रखेगा कि वे किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन के, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होंगे और न उससे अन्यथा रूप से संबंध होंगे, और न किसी अन्य रीति से उसमें सहायता करेंगे, न वे किसी विधान-मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में प्रचार कार्य करेंगे और न अन्यथा रूप से हस्तक्षेप करेंगे और न ही इस संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे और न निर्वाचन लड़ेंगे और न उसमें भाग ही लेंगे, परन्तु —

(एक) ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिए वे कर्मचारी मत देने के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे, किन्तु वे ऐसा करते समय उस रीति का कोई संकेत नहीं देंगे, जिससे वे मत देना चाहते हैं या उन्होंने मत दिया है.

(दो) कर्मचारियों के संबंध में केवल इस कारण से ही कि उन्होंने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित कर्त्तव्य के पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता पहुंचाई है, यह नहीं समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है.

(ख) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई आन्दोलन या गतिरोध इस नियम के क्षेत्र के भीतर आता है या नहीं, तो उस पर दिया गया शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

14. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण.—(क) सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रबंधक वर्ग प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कुल पदों के लिए 15 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों तथा 18 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरे जाने के लिए सुरक्षित रखेंगे. इसी प्रकार तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल पदों के लिए 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों तथा 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों से भरे जाने के लिए सुरक्षित रखेंगे.

(ख) यदि ऊपर उल्लिखित प्रतिशत तक किसी विशेष वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त न हो सके, तो अन्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सकता है तथापि, प्रबंधक वर्ग को निरीक्षण अधिकारी को इस बात से समाधान कराना होगा कि नियुक्तियों का विहित कोटा पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किए गए थे.

(ग) इस संबंध में समय-समय पर दिये गये शासन के अनुदेशों का पालन सहायता प्राप्त संस्थाओं में किया जायेगा.

15. जब कभी कोई सहायता प्राप्त संस्था इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा मानकों के संबंध में उसके कार्य सम्पादन पर अनुदान स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी का समाधान न कर पाए, तो वह उक्त संस्था के प्रबंधक वर्ग को एक औपचारिक चेतावनी देगा और उन दोनों को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सुधार के लिए कह सकेगा यदि संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर संतोषजनक कार्यवाही न करें तो अनुदान मंजूर करने वाला प्राधिकारी ऐसे अनुदान में कटौती या उसकी वापसी का आदेश दे सकेगा.

16. आवेदन करने की प्रक्रिया.—सहायता अनुदान प्राप्त करने की इच्छुक संस्था का प्रबंधक वर्ग पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन-पत्र विहित फार्म परिशिष्ट एक में पांच में भरकर संबंधित मंजूरी प्राधिकारी को (उचित माध्यम से यदि कोई हो) 1 मई तक भेज देगा.

17. प्राधिकारी मामले की समीक्षा के दौरान कोई भी अतिरिक्त जानकारी मंगवा सकेगा.— प्राधिकारी यदि वह अनुदान मंजूर करने के लिए सक्षम हो तो आवेदन के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा या उसकी समीक्षा के बाद तथा अपनी निश्चित सिफारिशों के साथ उसे तत्सम्बन्धी समिति के समक्ष रखेगा जिसमें राज्य अकादमि एवं परिषदों के सचिव सदस्य रहेंगे.

ऐसे सभी मामले जिनमें शासन की मंजूरी अपेक्षित हो, समीक्षा के बाद तथा सिफारिशों के साथ प्रतिवर्ष 1 जून तक संस्कृति विभाग में पहुंच जाना चाहिए. मंजूरी प्राधिकारी अनुदान में कटौती करने के आदेश दे सकेगा, जिसके कारण लेखबद्ध किये जायेंगे.

18. छूट देने की शक्ति.—राज्य शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी संस्था को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा और उन्हें तदर्थ या किसी भी अन्य विशेष आधार पर अनुदान दे सकेगा.

19. अपील.—प्रबंधक वर्ग को अनुदान मंजूर करने या उसमें परिवर्तन करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा. तथापि, अपील आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य शासन को की जाना चाहिए.

भाग तीन—अनुरक्षण अनुदान

20. अनुरक्षण अनुदान.—(क) अनुरक्षण अनुदान निम्नलिखित संस्थाओं के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए दिया जानेवाला आवर्ती अनुदान है.—

(एक) प्रशिक्षण संस्था

(दो) प्रदर्शनकारी कला संस्था

(ख) यह वार्षिक आधार पर मन्जूर किया जायेगा.

21. अनुरक्षण अनुदान का निर्धारण निम्नलिखित रीतियों से किया जावेगा.

(एक) एक प्रशिक्षण संस्थाओं के मामले में अनुरक्षण अनुदान की राशि सकल व्यय का 90 प्रतिशत या पूर्ण शुद्ध घाटे, जो भी कम हो के बराबर पांच वर्षों में 90 प्रतिशत आगामी पांच वर्षों तक 80 प्रतिशत तथा इसके उपरांत 75 प्रतिशत की दर से यह शुद्ध घाटा जो भी कम हो, के आधार पर दिया जावेगा.

(दो) प्रशिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत कार्यरत प्रदर्शनकारी, कलाकार दल (रेपर्टरी) के लिये वार्षिक अनुरक्षण अनुदान की राशि सकल व्यय के 75 प्रतिशत तथा पूर्ण शून्य घाटे, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी.

(तीन) अन्य संस्थाओं के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुदान की राशि सकल स्वीकार्य व्यय के 75 प्रतिशत या पूर्ण शून्य घाटे इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगी.

22. (1) उपर्युक्त नियम 21 (एक) के अधीन निश्चित किए गए अनुदान के प्रयोजन की अवधि में सम्यक् रूप से राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किसी भी नये पद के लिये उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक अतिरिक्त अनुदान नियम 22 (एक) के अनुसार स्वीकार्य होगा.

(2) इस नियम के अधीन अतिरिक्त अनुदान उस तारीख से स्वीकार्य होगा, जिस तारीख को पद वस्तुतः भरा गया हो.

23. अशासकीय सांस्कृतिक संस्थाओं के कर्मचारियों को मंजूर किए गए वेतन, पुनरीक्षण मंहगाई भत्ता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते पर अनुमानित व्यय के लिये अतिरिक्त अनुदान उपर्युक्त नियम में बताई गई सीमा तक और बताई गई रीति से संस्था द्वारा उसके देय होने की तारीख से स्वीकार्य होगा, बशर्ते कर्मचारियों को दिए गए मंहगाई भत्ता/अतिरिक्त मंहगाई भत्ता का व्यय शासन द्वारा पूर्व अनुमोदित हो.

24. अनुरक्षण अनुदान का भुगतान दो अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है. पहली किश्त प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक दे दी जावेगी. यह किश्त नियम 20 और 21 के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के लिये मंजूर अनुदान और पूर्ववर्ती वर्ष में नियम 22 और 23 के अधीन मंजूर अतिरिक्त अनुदानों, यदि कोई हों, के 50 प्रतिशत के बराबर होगी. दूसरी किश्त प्रतिवर्ष 28, 29 फरवरी तक दे दी जायगी और उस वर्ष के लिये स्वीकार्य अनुदान में से भुगतान की गई पहली किश्त की रकम काट लेने और ऐसी अन्य कटौतियां कर लेने के बाद, जो पूर्ववर्ती वर्षों में अनुदान का अधिक भुगतान, यदि कोई हो, कम कर दिये जाने के कारण आवश्यक समझी गई हों, निकलने वाली रकम के बराबर होगी.

25. (एक) ऐसी सांस्कृतिक संस्था के, जिसे शासकीय अनुदान प्राप्त हो रहा हो, संस्था प्रमुख सहित शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमान शासकीय शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की उन्हीं श्रेणियों के लिये मंजूर वेतनमानों के बराबर होंगे.

(दो) शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति/अर्हताएं का संदाय तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश अशासकीय सांस्कृतिक संस्था अधिनियम, 19.. तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगी.

26. (एक) अनुदान पाने वाली कोई भी संस्था, राज्य शासन के अनुमोदन के बिना नए कार्य-क्रम आरंभ नहीं करेगी.

(दो) राज्य शासन के अनुमोदन के बिना लिए गए कार्यक्रम/गतिविधियों के संबंध में अनुदान के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं

27. अनुदान के निर्धारण के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित को आय माना जावेगा :—

(1) प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए शिक्षा शुल्क

(2) जमा रकमों पर ब्याज

(3) आवर्ती व्यय के लिए भारत सरकार से अनुदान

(4) आवर्ती व्यय के लिए स्थानीय निकायों से अनुदान

(5) आवर्ती व्यय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

(6) किसी भी शासकीय या अर्द्ध शासकीय निकायों से आवर्ती व्यय के लिए दान या अनुरक्षण अनुदान.

28. (एक) अनुरक्षण अनुदान की संगणना के प्रयोजन के लिये सांस्कृतिक संस्थाओं को निम्नलिखित व्यय स्वीकार होगा :—

(क) उनके शिक्षकों तथा कर्मचारियों प्रदर्शन कलाकार दल में नियुक्त कलाकारों के लिए अनुमोदित दरों पर वेतन भत्ते तथा भविष्य निधि अभिदाय.

(ख) उनके नियमित कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता.

(ग) उनके प्रदर्शनकारी कलाकार दल (रेपर्टरी) में, नियुक्त कलाकारों के लिए वेतन भत्ते तथा अनुमोदित दर पर भविष्य निधि अभिदाय.

(दो) अनुरक्षण अनुदान की संगणना के प्रयोजन के लिए—

(1) कला संस्थाओं तथा (2) अन्य संस्थाओं को निम्नलिखित व्यय स्वीकार होगा :—

(क) किसी भी अनुमोदित प्रदर्शन आयोजन के लिए किया गया स्वीकृत व्यय.

(ख) किसी भी अनुमोदित कार्यशाला के लिये किया गया स्वीकृत व्यय.

(ग) आकस्मिक व्यय, जिसमें निम्नलिखित मदें शामिल होंगी :

(1) 500 रुपयों तक की पुस्तकों का व्यय

(2) यदि संस्था का स्वयं का भवन न हो, तो कलेक्टर द्वारा प्रमाणित मकान का युक्तियुक्त किराया.

(3) यदि संस्था का स्वयं का भवन हो, तो उन संस्थाओं के लिये यदि भवन की लागत दो लाख रुपये से कम हो, तो भवन के अनुरक्षण के लिए 4000 रुपये और यदि भवन की लागत तीन लाख से अधिक हो तो 7,500 रुपये.

(4) सम्बद्धकरण शुल्क

(5) विद्युत शुल्क

(6) टेलीफोन व्यय
(7) डाक टिकिट और तार
(8) फर्नीचर की मरम्मत
(9) लेखन सामग्री तथा मुद्रण
(10) कार्यालयीन व्यय
(11) सेवा परीक्षा फीस
(12) समाचार पत्र के लिए 600 रु. तक सीमित
(13) उक्त नियम के उद्देश्य के लिये संस्कृति विभाग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित अन्य कोई आयटम.

(घ) केवल सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए निम्नलिखित मदों पर अतिरिक्त आकस्मिक व्यय स्वीकार्य होगा :—

(1) पत्र-पत्रिकाओं के लिये 1200 रुपये तक सीमित.
(2) कर्मशालाओं पर आवर्ती व्यय.
(3) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी पर व्यय.

भाग चार—उपकरण अनुदान.

9. उपकरण अनुदान अनावर्ती अनुदान है जो किसी मान्यता प्राप्त कला/सांस्कृतिक संस्था को उपकरण और फर्नीचर के प्रयोजन के लिया जा सकेगा. जिसमें पुस्तकें, नक्शे, चार्ट, दृश्य-श्रव्य उपकरण, उपकरण तथा ऐसी वस्तुएं शामिल होंगी, जो संस्कृति विभाग आवश्यक समझे जाए.

0. 1. उपकरण अनुदान मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के एक वर्ष को नियम 39 में उल्लेखित प्रयोजन के लिये दिया जा ।.

उपकरण अनुदान की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :—

क) पुस्तकें, विद्युत् उपकरण, दृश्य श्रव्य उपकरण, ध्वनि उपकरण, संगीत वाद्य, कैमरा, रेकार्ड प्लेयर तथा कर्मशाला के अन्य उपकरण पर वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत.

1. उपकरण के लिए अनुदान की मंजूरी शासन द्वारा दी गी और यह अनुदान इस प्रमाण-पत्र के साथ कि व्यय की मदों अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है, वाउचरों तुत किये जाने पर ही देय होगा.

भाग पांच—शिविर अथवा आयोजन अनुदान.

32. शिविर अथवा आयोजन अनुदान मान्यता प्राप्त कला अथवा अन्य संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए दिया केगा :—

एक) प्रशिक्षण से जुड़े किसी शिविर अथवा आयोजन के लिए
दो) किसी विशिष्ट उद्देश्य के अन्तर्गत शिविर.

3. शिविर तथा आयोजन अनुदान की अधिकतम सीमा नुसार होगी :—

क) संस्थाओं के लिए अनुदान की राशि सकल व्यय के 90 प्रतिशत या पूर्ण शुद्ध घाटे, इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगी.

(ख) अन्य संस्थाओं के लिए अनुदान की राशि सकल व्यय के 75 प्रतिशत या पूर्ण शुद्ध घाटे, इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगी.

34. यदि इन नियमों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उपस्थित होगी तो राज्य शासन उसके निराकरण हेतु उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक वाजपेयी, सचिव.

परिशिष्ट एक

(नियम 20)

सहायता अनुदान के लिए आवेदन पत्र का फार्म.

संस्था का नाम .....

संस्था की श्रेणी .....

शासी निकाय .....

कर्मचारी का नाम	कर्मचारी: अर्हताएं	कर्मचारी: वेतन	आवेदन की तारीख से पहले के छह महीनों में औसत भर्ती आवेदन की तारीख से पहले के छह महीनों की औसत दैनिक उपस्थिति प्रत्येक कक्षा में फीस की दर: कक्षा	रु. प.
			योग ..	

(पिछले वर्ष के दौरान वार्षिक आय तथा व्यय)

आय		व्यय	
.....से.....तक			
1. फीस, जिसमें भोजन व्यय शामिल नहीं है.	1. अध्यापक वर्ग		रुपये पैसे.
2. अक्षय निधि	2. लिपिक तथा भृत्य		
3. अंशदान, दान तथा अनुदान. (विस्तृत ब्यौरे संलग्न कीजिए)	3. किराया तथा कर		
	4. आकस्मिकता व्यय		
योग ..	योग ..		